-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना नरैनी पुलिस द्वारा व्यक्ति की डण्डे से मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना नरैनी पुलिस द्वारा व्यक्ति की डण्डे से मारकर हत्या करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि कल दिनांक 04.07.2025 को सुबह थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम पोंगरी के रहने वाले लवकुश यादव द्वारा गांव के ही मुन्नीलाल की डण्डे से मारकर हत्या कर दी थी जिसके सम्बन्ध में थाना नरैनी में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त बांस का डण्डे व घटना के समय पहने हुए अभियुक्त के कपड़े बरामद किया गया है। बता दें कि अभियुक्त पर पूर्व में भी मारपीट, छेडखानी व एससी/एसटी के मामलें दर्ज है।

बरामदगी-

- घटना में प्रयुक्त बांस का डण्डा
- अभियुक्त के खून से सने कपड़े

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. लवकुश यादव पुत्र भगवानदीन यादव निवासी पोंगरी थाना नरैनी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0. 220/2025 धारा 103(1) BNS थाना नरैनी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त लवकुश उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 80/2015 धारा 354/452/506 भादवि थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 151/2022 धारा 323/354/504/506 भादवि थाना नरैनी जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 323/2023 धारा 60 आब0अधि0 थाना नरैनी जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 286/2023 धारा 323/325/354/452/504 भादवि व 3(1)(द)(ध),3(2)(va) SC/ST ACT थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री राममोहन राय थाना नरैनी
2. कां0 जितेन्द्र सिंह थाना नरैनी
3. कां0 सतीश यादव थाना नरैनी